फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **घीसू** विपक्षी :– **सवाईराम वगैरह**

किस्म मुकदमा :– **विविध आ.9नि.13 जा.दी.** पत्रावली संख्या :– **95/25 विविध**

जीसीएमएस नम्बर :– **2025/317**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 21.8.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। जहॉ तक प्रार्थना पत्र प्रस्तुति में हुऐ विलम्ब की अवधि का प्रश्न है तो इस संबंध में प्रार्थी का कथन है कि प्रकरण की जानकारी प्रार्थीगण को नही थी। प्रार्थीगण को प्रकरण की जानकारी तब हुई जब वादी द्वारा जमीन से अपना कब्जा हटा लेने बाबत धमकी दी। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी को अपने अधिकारो के प्रति सजग रहना चाहिए था। परन्तु वैसे भी विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत् न्यायालय को लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। इस कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुती में हुऐ विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है एवं देरी की अवधि को कन्डोन किया जाता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। मूल पत्रावली संख्या 113/17 वाद उनवान सवाईराम बनाम छगनलाल का अवलोकन किया। प्रकरण में दिनांक 05.12.2024 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी। जिसकी पालना कर तहसीलदार द्वारा पालना रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। प्रकरण केवल मात्र वादग्रस्त भूमि के विभाजन का है। मूल वाद में प्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 09.10.2017 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए थे। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की जा चुकी है। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री को अपास्त कर पुनः प्रारम्भिक स्तर पर नियत किया जाना न्यायोचित नही है। परन्तु अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट पर भी आपत्ति की गई है। यदि प्रार्थीगण को नही सुना जाता है तो प्रार्थीगण के हितो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में मूल वाद में दिनांक 09.10.2017 को जारी प्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:52 IST
Reason: SelfAttested

आदेश को अपास्त करते हुए उभय पक्षकारान की उपस्थिति में प्रारम्भिक डिक्री पालना करवाई जाकर अंतिम डिक्री सुना जाना न्यायोचित है। जिससे उभय पक्षो के हितो पर प्रतिकुल प्रभाव नही पड़ेगा। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम तथा आदेश 9 नियम 13 जा.दी. आंशिक स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के प्र.स. 113/17 वाद उनवान सवाईराम जाट बनाम छगनलाल में प्रार्थीगण के विरूद्ध पारित एकतरफा कार्यवाही का आदेश अपास्त किया जाता है तथा मूल प्रकरण में प्राप्त प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट तहसीलदार को पुनः भेजकर उभय पक्षकारान की उपस्थिति प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिए जाते है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर मूल पत्रावली के साथ संलग्न रहे। अधिवक्ता उभय पक्षकारान मूल प्रकरण में दिनांक 06.10.2025 को उपस्थित रहे। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया RAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:52 IST
Reason: SelfAttested